

✓

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.6(29)नवि/3/2004

जयपुर दिनांक: 03.12.07

आदेश

राज्य सरकार के पुरिपत्र क्रमांक प.6(29)नवि/3/2004 दिनांक 27.10.2005 में विन्दु संख्या-1 में प्रावधान किया हुआ है कि अवाप्तशुदा कृषि भूमि के बदले 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक इकाईयों की आवासीय भूमि आवंटित की जायेगी।

उक्त परिपत्र में दिनु संख्या-1 में निम्न दिशा-निर्देश जोड़े जाते हैं :-

1. स्पेशल इकोनोमिक जोन में आने वाली अवाप्तशुदा भूमि हेतु
 - a. आवासीय/आधारी भूमि की अवाप्ति के बदले 40 प्रतिशत आवासीय एवं 10 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि आवंटित की जायेगी।
 - b. वाणिज्यिक भूमि की अवाप्ति के बदले 50 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि आवंटित की जायेगी।
 - c. 90 बी की पूर्ण कार्यवाही सम्बन्ध हुई भूमि के लिए 30 प्रतिशत आवासीय एवं 7.5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि आवंटित की जायेगी।


(परशुराम सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, राजस्थान अवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलकटर, राजस्थान।
10. निदेशक, स्वानीय निकाय विभाग।
11. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव